

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 05/2021

तारीख दायर :-11.08.2021

दिनांक निर्णय :-08.09.2021

1. सरकार जरिये पटवारी हल्का सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर
बनाम

1.बालीराम पुत्र रामकृपाल मीना निवासी सुरेर तहसील राजगढ़ जिला अलवर

आज पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, अप्रार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का सुरेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिससे अप्रार्थी का अतिक्रमण सिद्ध होता है। जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बालीराम एवं उनके अधिवक्ता श्री श्रवण मीना द्वारा वकालात नाम एवं जवाब नोटिस दिनांक 08.09.2021 को पेश किया गया जिसमें आ0ख0न0 1251 रकबा 40.75 हे0 किस्म गैर मु0 पहाड़ चारागाह में से 0.45 हे0 वाके ग्राम सुरेर से अतिक्रमण हटा लिया है, बाबत जवाब नोटिस में अंकित किया है। जवाब नोटिस से हम सतुष्ट नहीं है। अप्रार्थी की मंशा अतिक्रमण को कायम रखने की प्रतित होती है। चूँकी रिपोर्ट पटवारी हल्का सुरेर के अनुसार राजकीय भूमि पर अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से सम्बत 2078 में बाढा बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:- अतिक्रमी श्री बालीराम पुत्र श्री रामकृपाल मीना निवासी ग्राम सुरेर को आराजी ख0न0 1251 रकबा 40.75 हे0 किस्म गैर मु0 पहाड़ चारागाह में से 0.45 हे0 वाके ग्राम सुरेर से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 0.90 की 50 गुणा में मु0 45.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों/पटवारी हल्का सुरेर को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट मय घटना बही की रिपोर्ट सहित पालना प्रस्तुत करे। आज दिनांक 08.09.2021 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

रा. ले. सं. 4 वर्ष. 2021-22
के नृष्ट संख्या...!! प्र. सं. 45/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ (जिला अलवर)